

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: प्रारूप - 6 ::

श्री सोहन लाल सोनी व्याख्याता संस्कृत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अन्ता, बारां जन्मतिथि 08.09.1961 का राज्य सेवा में रहते हुए दिनांक 14.11.2020 को निधन हो चुका है। अतः श्री सोहन लाल सोनी व्याख्याता संस्कृत राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अन्ता, बारां की सेवाएँ निकाय द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण-पत्र के आधार पर दिनांक 14.11.2020 से समाप्त की जाती है।

यह प्रमाणित किया जाता है कि स्व० श्री सोहन लाल सोनी के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अधीन को विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।



(सौरभ स्वामी)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान

बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-1/सेवासमाप्ति/2018

दिनांक : 11-01-2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, जयपुर।
2. संबंधित उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधी विभाग,
3. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, कोटा
4. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक, बारां को भेजकर लेख है कि स्व० श्री सोहन लाल सोनी व्याख्याता संस्कृत का नाम वरिष्ठता सूची से विलोपित कराने की कार्यवाही करावें।
5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी समग्र शिक्षा अन्ता, बारां
6. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अन्ता, बारां
7. संबंधित आश्रित, द्वारा संस्था प्रधान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, अन्ता, बारां
8. अनुभाग अधिकारी-वरिष्ठता/वि.जांच/एसीआर/एवी अनुभाग/संस्थापन सी-2 (प्रभाग ओएसी)।
9. सिस्टम एनेलिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
10. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा राजस्थान, बीकानेर

:: प्रारूप - 6 ::

श्री वीरेन्द्र व्याख्याता अंग्रेजी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, फतेहगढ, जैसलमेर जन्मतिथि 06.08.1962 का राज्य सेवा में रहते हुए दिनांक 15.11.2020 को निधन हो चुका है। अतः श्री वीरेन्द्र व्याख्याता अंग्रेजी राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, फतेहगढ, जैसलमेर की सेवाएँ निकाय द्वारा जारी मृत्यु प्रमाण-पत्र के आधार पर दिनांक 15.11.2020 से समाप्त की जाती हैं।

यह प्रमाणित किया जाता है कि स्व० वीरेन्द्र के विरुद्ध आज तक :-

1. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियन्त्रण एवं अपील) नियम 1958 के नियम-19 के अधीन को विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।
3. कोई न्यायिक कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं थी।



(सौरभ स्वामी)

निदेशक

माध्यमिक शिक्षा, राजस्थान


बीकानेर

क्रमांक-शिविरा/मा/संस्था/सी-1/सेवासमाप्ति/2018

दिनांक : 11-01-2021

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही बाबत प्रेषित है :-

1. संयुक्त निदेशक, पेंशन विभाग, जयपुर।
2. संबंधित उप निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधानी निधी विभाग,
3. संयुक्त निदेशक, माध्यमिक शिक्षा, जोधपुर
4. जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय माध्यमिक, जैसलमेर को भेजकर लेख है कि स्व० श्री वीरेन्द्र व्याख्याता अंग्रेजी का नाम वरिष्ठता सूची से विलोपित कराने की कार्यवाही करावें।
5. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी सम, जैसलमेर
6. प्रधानाचार्य, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, फतेहगढ, जैसलमेर
7. संबंधित आश्रित, द्वारा संस्था प्रधान राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय, फतेहगढ, जैसलमेर
8. अनुभाग अधिकारी-वरिष्ठता/वि.जांच/एसीआर/एवी अनुभाग/संस्थापन सी-2 (प्रभाग ओएसी)।
9. सिस्टम एनेलिस्ट कम्प्यूटर अनुभाग कार्यालय हाजा को विभागीय वैबसाईट पर प्रकाशनार्थ।
10. निजी/रक्षित पत्रावली



संयुक्त निदेशक (कार्मिक)

माध्यमिक शिक्षा राजस्थान

बीकानेर

Order